REFERENCE TO SITUATION IN MADHYA PRADESH

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (राजस्थान) . मैं आपका आभारी हू आपने मुझे एक विषय को यहा पर उपस्थित करने की अनुमति प्रदान की है । मध्य प्रदेश के अदर आज जो एक सवैधानिक सकट राज्यपाल के द्वारा खडा किया जा रहा है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हू । वहा पर जो सविद की सरकार थी उसने अपना एक इटरनल अरेन्जमेन्ट किया मुख्य मत्री को बदलने का । मुख्य मत्री को बदलने का अरेन्जमेट मैसूर मे भी हुआ है, पहले श्री निजलिंगप्पा थे उनको बदल कर दूसरे मिनिस्टर को लाने की कोशिश की गई । श्री गोविन्द नारायण सिह के मुख्य मत्रित्व काल में भी, जिस प्रान्त से श्री विद्या चरण शुक्ल आते हैं, उनकी पार्टी के लोगो ने यह अफवाह बहुत दिन से चला रखी है कि सविद सरकार का बहुमत है या नही है इसमे शका है । परन्तु इसके बावजूद भी विधान सभा का अधिवेशन चल रहा था, बजट पेश था और बजट के एक एक आइटम पर वोटिग के द्वारा अपनी शक्ति को आजमाने का मौका था । मुझे हैरानी हुई कि जब इस इटरनल अरेन्जमेन्ट मे एक मुख्य मत्री को बदल कर दूसरे मुख्य मत्री को लाने की कोशिश की गई तो गवर्नर ने वहा पर "असेसमेन्ट आफ सिचुएशन" की बात कही । यह एक ऐसी चीज खडी की है गवर्नर ने जिस में से कई सवैधानिक पेचीदगिया भविष्य के लिये भी खडी होगी । इस तरह से अगर गवर्नर एक इटरनल एडजस्टमेंट के मामले में असेसमेट आफ द सिचुएशन की प्ली ले कर एक कास्टीट्युशनल डाइलेमा पैदा करना चाहते हैं तब तो फिर गवर्नर अपने पद का घोरतम दुरुपयोग कर रहे हैं, यह कह दिया जायेगा । कल सबेरे भी गवर्नर सविद के नेताओ से मिले, लेकिन कल शाम के बाद अचानक एक मेडिकल बुलेटिन इश्यू हो गई कि वे तीन दिन तक बीमारी के कारण किसी से नही मिल सकेगे । इससे मुझे बडी हैरानी है और मैं चाहता हू कि अगर सवैधानिक सकट इतना ज़बरदस्त वहा चल रहा है तो यहा से होम मिनिस्ट्री को कोई न कोई आल्टरनेट अरेजमेंट करना चाहिये जिस से वहा की सवैधानिक स्थिति को अवयन्स मे रखने की कोशिश न की जाय । मुझे जानकारी मिली है जो मैं नही जानता कि कहा तक सही है, कि काग्रेस के नेता गवर्नर की पत्नी को काग्रेस की लिस्ट दे रहे हैं । मैं समझता हू कि होम मिनिस्ट्री को वहा से अधिकृत रिपोर्ट प्राप्त कर के इसके बारे मे स्पष्टीकरण देना चाहिये .

MR. CHAIRMAN : Yes, you have stated your point.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : . . .और इस स्थिति को सुधारने के लिये कदम उठाना चाहिये ।

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन् मैं आप का बहुत ही अनुग्रहीत हू कि आपने मुझे इस विषय को उठाने की अनुमति दी । इसमें सवैधानिक प्रश्न यह है कि अभी एक पोज़ल बगाल के बारे मे इस सरकार ने ली और दूसरे राज्यो के बारे मे कोई दूसरे ढग से ले रही है । प्रश्न यह है कि गवर्नर मत्रिपरिषद की सलाह से काम करेगा या नही । वहा अभी चीफ मिनिस्टर श्री गोविद नारायण सिह हैं और उन्होने वहा के राज्यपाल को यह सुझाव दिया .

श्री ओम मेहता (जम्मू और काश्मीर) : उन्होने इस्तीफा दे दिया है ।

(Interruption)

श्री महाबीर प्रसाद भार्गव (उत्तर प्रदेश) : यह फैक्ट बताइये कि उन्होने इस्तीफा दे दिया ।

(Interruption)

एक माननीय सदस्य : इनको आगे हालात मालूम नही है ।

MR. CHAIRMAN : Kindly do not interrupt, I have given permission to both these gentlemen , let them have their say.

श्री राजनारायण : तो श्री गोविन्द नारायण सिंह ने राज्यपाल महोदय को यह सुझाव दिया कि हमारे दल मे अब दूसरे हमारी जगह पर श्री नरेन्द्र चन्द्र सिह नेता चुन लिये गय हैं और

[श्री राजनारायण]

हमारा इस्तीफा आप स्वीकार करे और हमारी जगह पर श्री नरेश चन्द्र सिह को आप मुख्य मत्री के पद की शपथ दिलाये । मुख्य मत्री का इस्तीफा होने के पूर्व जो उन्होने खत लिखा है उसी खत में उन्होने लिखा है कि हमारी जगह पर सविद के नेता चुने गये है श्री नरेश चन्द्र सिह और आप उनको मुख्य मत्री के पद की शपथ दिलाये और हमारा इस्तीफा कबूल करे । अब सवाल यह पैदा होगा कि क्या मत्रिपरिषद् की सलाह से राज्यपाल काम करेगा या नही करेगा । यह बहुत बडा सवाल है । इस सवाल को इधर उधर करने से कोई लाभ नही होगा । श्री गोविन्द नारायण सिह सविद के मुख्य मत्री है, वहा सविद की सरकार चल रही है, बजट सेशन चल रहा है, और उसी सविद के मुख्य मत्री कहते है कि आप हमारी जगह दूसरे को शपथ दिलाइये क्योंकि संविद ने अब दूसरे को नेता चुना है ।

श्री महेश्वर नाथ कौल (नामनिर्देशित) . इस्तीफा देने के बाद कहते है ।

श्री राजनारायण : कौल साहब ने एक टैक-निकल प्रश्न उठाया है । उनका एक ही लेटर है और उसी लेटर मे श्री गोविन्द नारायण सिह का यह कहना है कि हमारी जगह श्री नरेश चन्द्र सिह को सविद का नेता चुना गया है, इनको मुख्य मत्री पद की शपथ दिलाई जाय और हमारा इस्तीफा स्वीकार किया जाय । गवर्नर को सविधान के अन्दर कोई हक हासिल नही है कि वह श्री नरेश चन्द्र सिह को शपथ न दिलाये । गवर्नर अपने को बनना क्या चाहते है । अब वह बीमार हो गये है . .

(*Interruption*)

श्री राम सहाय (मध्य प्रदेश) . यह बिलकुल गलत फैक्ट्स दे रहे है ।

(*Interruption*)

श्री राजनारायण : . . वहा राज्यपाल की धर्मपत्नी को काग्रेस के लोग लिस्ट दे रहे है । यह तीन दिन की बीमारी काग्रेस सरकार बनाओ बीमारी है । राज्यपाल को काग्रेस सरकार बनाओ की बीमारी है । वे अभी बैठे है ताकि तीन दिन के अन्दर काग्रेस को मौका मिले अपनी ताकत बढ़ाने का ।

(*Interruption*)

इसलिये श्रीमान्, मै आपसे निवेदन करूगा कि आप अपने अधिकारों को इस्तेमाल करके राष्ट्रपति महोदय से कहे कि वहा के राज्यपाल गलत काम कर रहे है, इसलिये वहा के राज्यपाल हटाये जाये या वे सही काम करे ।

MR. CHAIRMAN : Very good; you have stated your point. Mr. Momin will now speak on the Railway Budget.

[THE VICE CHAIRMAN (SHRI D. THENGARI) in the Chair.]

श्री राम सहाय : श्रीमन्, जो गलत बाते इन्होने यहा बताई है उनका प्रतिवाद होगा या नही । मेरा अर्ज करना यह है कि इन्होंने जो गवर्नर पर इल्जाम लगाया है वह बिल्कुल गलत लगाया है । जिस दिन वहा के मुख्य मत्री ने इस्तीफा देने के लिये कहा उस दिन वे वास्तव मे बीमार थे और ये जितनी बाते कह रहे है वे सब गलत है ।

SHRI M M. DHARIA (Maharashtra): On a point of order, Mr. Vice-Chairman, Sir, two hon. Members of this House, with the permission of the Chair, have been allowed . .

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI : Do we want to begin a debate? Then all should be allowed But it was just a question of referring to an issue. I want to submit that we are very clear on this point. You have to take the permission of the Chair if you want to speak on it.

SHRI A. G. KULKARNI (Maharashtra): You must allow the point of order.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI : This is not a point of order.

SHRI M. M. DHARIA : Mr. Vice-Chairman, Sir, my point of order is that this system of giving this opportunity to some hon Members to express their views, of simply allowing those Members to air their views—which will later come out in the papers and be made known to the country—where the other Members are prohibited from expressing their views, if such an opportunity is to be given, then let this House know what the other side

has to say. Do we expect from the Governor that the Chief Ministership should be given to one who is having no majority in the House?

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI : On this point of order you are explaining your view now.

SHRI LOKANATH MISRA (Orissa) : Sir, may I make a submission?

श्री राजनारायण : श्रीमन्, हमारा प्वाइंट यह है कि इस समय में धारिया जी के प्वाइंट आफ आर्डर का पूर्णतः समर्थक हूं। मैं भंडारी जी से निवेदन करता हूं कि इनको क्या आपत्ति है, यह विषय संवैधानिक है, यह सदन के अधिकार क्षेत्र में है और इसपर पूरी चर्चा होनी चाहिये। मैं चाहता हू कि इसपर पूरी चर्चा हो ताकि वहां के राज्यपाल जो अभी वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने की साजिश कर रहे है, उसका पूरा भंडा फूटे।

श्री एम० एम० धारिया : मेरा प्वाइट आफ आर्डर यह है कि राज्य सभा को अपोजीशन लीडर्स की लाबी नहीं बनाना चाहिये, हम को भी बोलने का मौका मिलना चाहिये।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI D. THENGARI) : Kindly sit down. I am on my feet; kindly sit down.

Mr. Dharia, you should have kindly discussed the matter with the Chair. We have passed on to the other subject at the instance of the Chair. Mr. Momin.

THE BUDGET (RAILWAYS) 1969-70 GENERAL DISCUSSION—*(contd.)*

SHRI G. H. VALIMOHMED MOMIN (Gujarat): Mr. Vice-Chairman, Sir, at the outset I want to pay my compliments to the Railway Minister who has presented a very good Budget. I think as a good cricketeer he has made a good innings.

Coming to the question of some difficulty so far as the State of Gujarat is concerned, I will give a little background so that it may be well noted by our able Railway Minister. As we know, Sir, in Gujarat, previously there were several native States—Gaikwad and other States—and they had their narrow-gauge lines and they used to cater to the public from one station to another on a mileage basis. There are twenty narrow-gauge lines. Now the report comes that it is in the contemplation of the Railway Ministry, on the plea that this particular line is uneconomic to cancel it. To know what the view of the Gujarat Government is in this regard, what repercussions the contemplated cancellation will produce in the State, to know all that even some consultation is not held with the Gujarat Government. As I said, there are about twenty narrow-gauge lines, and even if it has to be considered whether a particular line is economic or uneconomic, whether a particular line is economic or not, the Railway Ministry should take an overall view, and not take a particular line and say that it is uneconomic. And the Gujarat Government which has to bear the brunt of the dissatisfaction should also be consulted.

The second point is there are sometimes changes of flag stations. Even a satyagraha took place and one man was killed. So if the local Government is kept posted with information about this it would be better.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI D. THENGARI): Mr. Momin, you can continue later.

THE HOUSE STANDS ADJOURNED TILL 2.00 P.M.

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

The House reassembled after lunch at two of the clock, THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

REFERENCE TO PROROGATION OF THE MADHYA PRADESH ASSEMBLY

THE DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Rajnarain, you had said that you wanted to mention something about Madhya Pradesh.

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : माननीया, मुझे बहुत ही दुख, अफसोस और गुस्से के साथ कहना पड़ रहा है कि मध्य प्रदेश राज्यपाल की सलाह पर वहां का सदन अवसान कर दिया गया, प्रोरोग कर दिया गया। कांस्टीट्यूशन के मुताबिक आप यह समझती हैं कि राज्यपाल सदन को प्रोरोग स्वेच्छा से नहीं कर सकता। यह उसका स्वविवेक नहीं है। यह काम उसको जब करना होगा तब मन्त्रिपरिषद, चीफ मिनिस्टर की